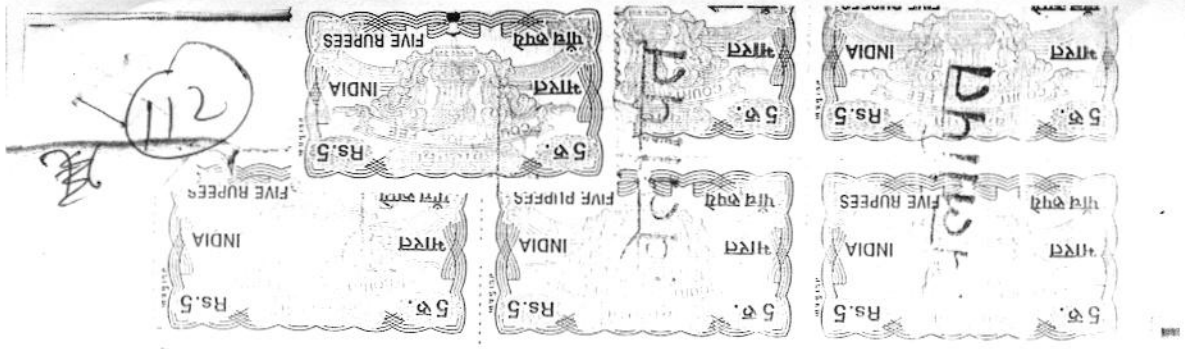

112

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण निग/11054-I-15

श्री प्रमोद के श्रीवास्तव, अभि0
द्वारा आज दि. 18-12-15 को
प्रस्तुत

बाबू
18-12-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

S.K. Srivastava

1. नारान पुत्र स्व0 श्री नत्था फोत
वारिसानः–

अ– सुशीलाबाई (पत्नी)

ब– चन्द्रभान (पुत्र)

स– रामकुमार (पुत्र)

द– नीतेश (पुत्र)

इ– आशाबाई (पुत्री)

क– रमाबाई (पुत्री)

समस्त जाति लोधी निवासी– ग्राम महुअन तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, म0प्र0

––आवेदकगण

बनाम

1. कल्लू पुत्र ललचन्दी जाति चमार निवासी– ग्राम महुअन तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, म0प्र0
2. लल्लू पुत्र ग्यारसा जाति चमार निवासी– ग्राम सवोद्री परगना अशोक नगर, जिला अशोक नगर, म0प्र0 –––मूल अनावेदकगण

— 2 —

3. मोहना पुत्र नत्था (फोत)
4. मुन्ना पुत्र नत्था

निवासीगण– ग्राम महुअन तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, म0प्र0

---अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक 26/10/2015 पारित द्वारा न्यायालय श्री एम0एल0 सिरौदिया अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग ईसागढ़ जिला अशोक नगर के प्रकरण कमांक 08/अपील/2013–14 व उनवान नारान आदि बनाम कल्लू आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

## प्रकरण के तथ्य एवं आधार

1. यहकि, अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिविधान एवं प्रकरण पत्रिका में उपलब्ध साक्ष्य एवं कानूनी प्रकिया के विपरीत होकर अवैध एवं अनुचित होने से प्रथम दृष्टिया ही निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, भूमि सर्वे कमांक 3/4 ख–3/1 रकवा 0.700 हैक्टर अनावेदक कमांक 1 कल्लु पुत्र ललचन्दी जाति चमार व अनावेदक कमांक 2 लल्लू पुत्र ग्यारसा चमार को 3/4 ख 3/2 रकवा 0.698 हैक्टर भूमि का वर्णन किया गया है, उक्त

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./4054/एक/2015 जिला अशोकनगर

नारान मृत वारिसान सुशीला बाई विरूद्ध कल्लू आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 17/6/19 | प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकरी अनुभाग ईसागढ़ , जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 08/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 26/10/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>17/6/19<br>(आर0के0 जैन)<br>सदस्य | |